भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1699
दिनांक 04.08.2025 को उत्तर देने के लिए

रेयर अर्थ मिनरल्स का घरेलू अन्वेषण और नीति

1699 श्री विवेक के. तन्खाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है और यदि इसमें विलंब हुआ है तो उसके कारण क्या हैं;
(ख) अब तक नीलाम किए गए रेयर अर्थ खनिज ब्लॉकों की संख्या और स्थिति क्या है और क्या निजी क्षेत्र के अन्वेषण को प्रोत्साहित किया गया है;
(ग) घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज रणनीति सहित कौन-कौन सी नीतिगत पहलें की गई हैं; और
(घ) उच्च प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों को समर्थन देने के लिए चुंबक और ऑक्साइड उत्पादन सहित घरेलू प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण को प्राथमिकता दी है और उसकी गति बढ़ाई है। जीएसआई ने कार्य सत्र 2020-21 से 2024-25 तक विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 628 खनिज गवेषण परियोजनाएं कार्यान्वित कीं, जिनमें 261 परियोजनाएं विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) पर लक्षित थीं। कार्य सत्र 2025-26 में, जीएसआई ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 230 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 94 परियोजनाएं आरईई के गवेषण पर केंद्रित हैं।

इसके अलावा, खान मंत्रालय का राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) देश में महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित गवेषण एजेंसियों और अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। अब तक एनएमईटी द्वारा महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों पर 575 करोड़ रुपये की 196 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ख): केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित नवाटोला-लाबंद आरईई ब्लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक की है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ में स्थित कटघोरा लिथियम ब्लॉक और कर्नाटक में स्थित डोम्बरहल्ली फॉस्फेट ब्लॉक की भी नीलामी की गई है, जिनमें आरईई अन्य खनिजों से संबद्ध है।

जहां तक निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन देने का संबंध है, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

(i) अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की खनिज गवेषण परियोजनाओं के लिए 100% वित्तपोषण।

(ii) गवेषण अनुज्ञप्ति और संयुक्त अनुज्ञप्तिधारकों को कुल व्यय के 50% तक गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति करके सहायता।

(iii) यदि ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की जाती है या उसे जी3 चरण में अपग्रेड किया जाता है, तो गवेषण एजेंसियों को महत्वपूर्ण, सामरिक और गहराई में स्थित खनिजों के लिए जी4 मदों की अनुमोदित परियोजना लागत का 25% गवेषण प्रोत्साहन।

(ग) और (घ): एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 ने केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया है, जिसमें यूरेनियम और थोरियम रहित "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा अब तक 34 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

सरकार ने जनवरी, 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना और देश की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना है, जिसमें खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरण शामिल हैं। खान मंत्रालय अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करता है।

देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है और दो खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम कर दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रैप को छूट प्रदान की है।
